न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **81/22 (वाद)**

GCMS No. : 2022/211

1. हरनाथ पुत्र भेरूनाथ जी जाति राजपुत, उम्र 60 वर्ष निवासी टिलोरा तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)

............वादी

बनाम्

1. अमरनाथ पुत्र भेरूनाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी टिलोरा तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
2. नारायणनाथ पुत्र तख्तनाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी–टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
3. निर्भयनाथ पुत्र तख्तनाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी– टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
4. भीमनाथ पुत्र तख्तनाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी दिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
5. मांगाकुंवर पुत्री तख्तनाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी–टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
6. राजकुंवर पुत्री तख्तनाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी–टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
7. सोहन कुंवर पत्नी तख्तनाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी–टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
8. गोकलनाथ पुत्र जोधनाथ जी, जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी– टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
9. भंवरनाथ पुत्र मोड़नाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी– टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
10. मदननाथ पुत्र मोड़नाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी– टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
11. कालूनाथ पुत्र मोड़नाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी– टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
12. महेन्द्रनाथ पुत्र मोडनाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी– टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज)
13. सोहननाथ पुत्र मोड़नाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
14. हिम्मतनाथ पुत्र मोड़नाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी– टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
15. मांगाकुंवर पुत्र मोड़नाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी– टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:03:38 IST
Reason: SelfAttested

16. उगमकुंवर पत्नी मोड़नाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी–टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
17. विक्रमनाथ पुत्र रतननाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी– टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
18. देवेन्द्रनाथ पुत्र रतननाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी– टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
19. रेखाकुंवर पुत्री रतननाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी– टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
20. हेमलता कुंवर पत्नी रतननाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी–टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
21. फतेहनाथ पुत्र रामनाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी– टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
22. केसरकंवर पत्नी रामनाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी–टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
23. दरियावकुंवर पुत्री रामनाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी–टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
24. टमाकंवर पुत्री रामनाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी– टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
25. पुष्पाकुंवर पत्नी दलपतनाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी–टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
26. शेलेन्द्र पुत्र दलपतनाथ जी नाबालिग जरिये संरक्षक माता पुष्पाकुवर जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर राज.
27. नैना पुत्री दलपतनाथ जी नाबालिग जरिये संरक्षक माता पुष्पाकुवर जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर राज.
28. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर (राज.)

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री जितेन्द्र लक्षकार, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 10.03.2026

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा वांगदोरी, पटवार हल्का भीमल, तहसील मावली के आराजी नम्बर 474, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494 किता 10 कुल रकबा 4.05 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या एक के नाम 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या दो से सात के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:03:38 IST
Reason: SelfAttested

1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या पाँच से दस के नाम 1/3 हिस्सा से दर्ज है। उक्त वर्णित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है उक्त वर्णित आराजीयात वादी के पिता मूल खातेदार भेरूनाथ वल्द दौलतनाथ जी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। जिनके मरणोपरान्त वादी एवं प्रतिवादीगण को उनकी विरासत से जन्म से ही हक अधिकार प्राप्त है।

2. यह कि सजरा परिवार के अनुसार उक्त वर्णित आराजीयात के मूल खातेदार भेरूनाथ वल्द दौलतनाथ जी थे जो वादी के पिता थे उक्त सम्पत्ति वादी की पैतृक सम्पत्ति होने से उक्त सम्पत्ति में वादी को उसके जन्म से हक व अधिकार प्राप्त है। वादी की पैतृक सम्पत्ति है भेरूनाथ जी के चार पुत्र हुए जिसमें जोधनाथ, हरनाथ (वादी), अमरनाथ, तख्तनाथ जिस मे उक्त आराजीयात पैतृक सम्पत्ति होने से वादी का जन्म से ही 1/4 हक व हिस्सा है जिस पर वादी अपने पिता स्व. भेरूनाथ जी के समय से ही काबिज होकर काश्त करता हुआ आ रहा है, वादी के भाई जोधनाथ का उक्त आराजी में 1/4 हिस्सा, तख्तनाथ का 1/4 हिस्सा एवं अमरनाथ का 1/4 हक व हिस्सा है। लेकिन उपरोक्त आराजीयात कृषि भूमि वादी के भाईयों के नाम ही दर्ज हो गई जिससे उपरोक्त आराजी कृषि भूमि वर्तमान जमाबंदी अनुसार प्रतिवादी संख्या एक के नाम 1/3 हिस्सा एवं जोधसिंह के नाम 1/3 हिस्सा एवं तख्तसिंह के वारिसान के नाम 1/3 हक व हिस्सा से दर्ज है।

3. यह कि उक्त आराजीयात कृषि भूमि वादी की पैतृक सम्पत्ति है जिस पर वादी काबिज काश्त होकर अपने हक हिस्से पर खेती करता आ रहा है लेकिन उक्त आराजीयात कृषि भूमि को वादी के भाईयों के नाम दर्ज हो जाने से वादी को उसके हक व हिस्से से वंचित हो गया। वादी के भाई जोधनाथ व तख्तनाथ जी की मृत्यु हो चुकी है ओर प्रतिवादी संख्या पाँच से दस के नाम तख्तनाथ की विरासत भी खुल गई ओर जोधसिंह की मृत्यु होने से उनके वारिसान भी विरासत करवाने की कोशिश कर रहे है उपरोक्त आराजीयात में वादी का 1/4 हक व हिस्सा है वादी के उसके भाइयों के मध्य पूर्व में ही मौखिक बंटवारा भी हो चुका है वादी अपने हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त कर रहा है।

4. यह कि वादी ने अपनी पैतृक कृषि भूमि बाबत् भूमि पूर्व में भी घोषणा का वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसके प्रकरण सं. 296/2007 है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
India
Date: 2026.04.16 16:03:38 IST
Reason: SelfAttested

जो माननीय न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में 29.12.2008 को निर्णित कर वादी को भेरूनाथ की सम्पत्ति में खातेदार घोषित किया गया। पूर्व में वादी द्वारा जो वाद प्रस्तुत किया गया था उस समय उक्त वाद पत्र की कॅलम संख्या एक में वर्णित आराजीयात कृषि भूमि सहवन से वादी के अनपढ़ होने से रह गई थी जिसकी जानकारी वादी को बाद में नकले प्राप्त करने से हुई तो उपरोक्त आराजीयात प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई जिसमें वादी का नाम दर्ज नहीं हुआ जबकि हस्तगत वाद में वर्णित आराजीयात में वादी का जन्म से ही 1/4 हक हिस्सा निहित है, इसके बाबत् प्रतिवादीगण को वादी ने कहा की उक्त जमीन में वादी का नाम क्यों नहीं आया तो कहने लगे की हम क्या जानें क्यों नहीं आप स्वयं की कार्यवाही कराओ हमारा आपकी जमीन से कोई लेना–देना नहीं है।

5. यह कि उक्त मामला वादी का प्रथम दृष्टया मामला है चूंकि उक्त वर्णित आराजीयात वादी की पैतृक जायदाद है जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादी को पैतृक सम्पत्ति में जन्म से हक व अधिकार प्राप्त है, जिससे वादी को वाद पत्र की कॅलम संख्या एक में वर्णित आराजीयात में 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने के अधिकारी है। वादी अपने हक व हिस्से पर काबिज होकर अपने पिता के जीवन काल से ही काश्त करता हुआ आ रहा हूं उपरोक्त आराजीयात में वादी को खातेदार की हैसियत से खातेदार घोषित नहीं किया गया तो वादी को जो अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसो में नहीं किया जा सकेगा सुविधा संतुलन भी वादी के पक्ष में है।

6. यह कि वादी ने प्रतिवादीगण को दिनांक 25.04.2022 कहा की उपरोक्त आराजी में वादी के हक हिस्से को उसके खाते करा देवे तो प्रतिवादीगण ने कहा की ये हमारी जिम्मेदारी नहीं आप स्वयं ही कानूनी कार्यवाही करें तभी से वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

7. अंत में निवेदन किया की वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावें उक्त वर्णित आराजी संख्या 474, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494 कुल कीता 10 कुल रकबा 4.0549 हेक्टर कृषि भूमि में वादी को उसकी पैतृक सम्पत्ति में 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर [illegible] सार हमारा नाम राजस्व रेकर्ड, खेवट, खतौनी जमाबन्दी में [illegible] किया ज[illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:03:38 IST
Reason: SelfAttested

8. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 27 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी संख्या 28 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा। प्रकरण में तनकीयात कायमी की आवश्यकता नहीं होने से साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्य वादी के तहत गवाह पी.डब्ल्यू 1 स्वयं वादी हरनाथ पुत्र भेरूनाथ जाति राजपुत निवासी टिलोरा तहसील मावली जिला उदयपुर द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेजात मौजा वांगरोदी की नकल जमाबन्दी सम्वत 2077–80 पेज प्रदर्श 1, ग्राम पंचायत गादोली द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 22.10.25 प्रदर्श 2, मौजा वांगरोदी की नामान्तरकरण संख्या 3 की नकल प्रदर्श 3, मौजा वांगरोदी माफी की नकल जमाबन्दी मेवाड सेटलमेन्ट विभाग सम्वत् 2003 पेज 1 से 3 प्रदर्श 4, मौजा वांगरोदी की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2017–20 पेज 1 से 2 प्रदर्श 5, मौजा वांगरोदी की नकल खसरा मिलान पत्रक सम्वत् 2022 पेज 1 से 2 प्रदर्श 6, मौजा वांगरोदी की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2025–28 प्रदर्श 7. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली के प्रकरण संख्या 296/07 वाद हरनाथ बनाम मोडनाथ निर्णय व डिक्री दिनांक 29.12.08 की सत्यप्रतिलिपि पेज 1 से 6 प्रदर्श 8, हरनाथ का आधार कार्ड असल प्रदर्श 9 एवं छायाप्रति पत्रावली पर प्रदर्श 9ए, हरनाथ का पेन कार्ड असल प्रदर्श 10 एवं छायाप्रति पत्रावली पर प्रदर्श 10ए करवाए गए।

9. प्रकरण में अधिवक्ता वादीया की एकतरफा दावा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीया द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र के अंकित तथ्यो को दौहराते हुए वादीया के वाद पत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

10. हमने अधिवक्ता वादीया की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की प्रदर्श पी 5 ग्राम वागरोदी की नकल जमाबंदी संवत 2017 से 20 के खाता संख्या 43 पर दर्ज आराजी नम्बर 244, 278, 279 किता 3 कुल रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा भूमि भेरूनाथ वल्द दोलतनाथ राजपुत सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है। प्रदर्श पी 3 नामान्तरकण संख्या 3 दिनांक 31.05.1962 विरासत से उक्त वादग्रस्त भूमि जोधनाथ, तगत[illegible], [illegible]रनाथ पिता भेरूनाथ के नाम दर्ज हुई। प्रदर्श पी 6 भू-प्रबंध विभाग [illegible] मिलान पत्रक अनुसार वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Purabia
Date: 2026.04.16 16:03:38 IST
Reason: SelfAttested

आराजीयात के हाल आराजी नम्बर 474, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494 कायम किए गए। ग्राम वागरोदी पटवार हल्का भीमल तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 56 पर दर्ज आराजी नम्बर 474, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494 किता 10 कुल रकबा 4.0549 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 एवं प्रतिवादी संख्या 8 से 27 के मौरूस जोधनाथ पुत्र भेरूनाथ के नाम दर्ज है। वादी द्वारा बताए गए सजरे अनुसार मूल पुरूष भेरूनाथ पिता दौलतनाथ के चार पुत्र क्रमशः जोधनाथ, हरनाथ, अमरनाथ, तख्तनाथ थें। भेरूनाथ के निधन के पश्चात विरासत के नामान्तरकरण संख्या 3 से वादग्रस्त भूमि केवल मात्र जोधनाथ, अमरनाथ, तख्तनाथ के ही नाम दर्ज हुई। प्रदर्श पी10 आयकर विभाग पैन कार्ड, प्रदर्श पी 9 आधार कार्ड, प्रदर्श पी 2 ग्राम पंचायत द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र अनुसार हरनाथ के पिता का नाम भेरूनाथ अंकित है। ऐसे में स्पष्ट है कि भेरूनाथ का वारीस हरनाथ भी था। हिन्दु उत्ताराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत किसी खातेदार के निधन के पश्चात उसके सभी प्रथम श्रेणी के वारिसान के नाम भूमि दर्ज की जानी थी। परन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा भेरूनाथ के केवल मात्र तीन पुत्रो के नाम ही दर्ज कर भूल की गई है। विरासत के नामान्तरकरण से वादी का नाम भी दर्ज किया जाना चाहिए था। जबकि मौके पर भेरूनाथ के वारिसान काबिज होकर काश्त कर रहे है। वादी का राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त रूप से नाम दर्ज नही होने से वादी उक्त जमीन का सही ढंग से उपयोग उपभोग नही कर पा रहा है।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत यदि किसी खातेदार की मृत्यु हो जाती है तो उसमें निहित सम्पूर्ण भूमि उसके प्रथम श्रेणी के वारिस में निहित होती है। इस प्रकरण में भी खातेदार भेरूनाथ के निधन के पश्चात वादग्रस्त भूमि उसके वारिसान में निहित हुई। लेकिन राजस्व कर्मचारियो द्वारा भेरूनाथ की भूमि में उसके पुत्र हरनाथ का नाम विरासत के दर्ज नही कर भारी भूल की है। जिसे सुधारा जाना आवश्यक है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत स्वीकार योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:03:38 IST
Reason: SelfAttested

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम वागरोदी पटवार हल्का भीमल तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 56 पर दर्ज आराजी नम्बर 474, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494 किता 10 कुल रकबा 4.0549 हैक्टयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 एवं प्रतिवादी संख्या 8 से 27 के मौरूस जोधनाथ पुत्र भेरूनाथ के नाम दर्ज हिस्से में से वादी को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार मावली को आदेशित किया जाता है कि उक्त आदेशानुसार वादी के नाम 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के नाम संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 8 से 27 के मौरूस जोधनाथ पुत्र भेरूनाथ के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2026 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:03:38 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. हरनाथ पुत्र भेरूनाथ जी जाति राजपुत, उम्र 60 वर्ष निवासी टिलोरा तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)

............वादी

बनाम्

1. अमरनाथ पुत्र भेरूनाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी टिलोरा तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
2. नारायणनाथ पुत्र तख्तनाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी–टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
3. निर्भयनाथ पुत्र तख्तनाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी– टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
4. भीमनाथ पुत्र तख्तनाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी दिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
5. मांगाकुंवर पुत्री तख्तनाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी–टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
6. राजकुंवर पुत्री तख्तनाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी–टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
7. सोहन कुंवर पत्नी तख्तनाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी–टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
8. गोकलनाथ पुत्र जोधनाथ जी, जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी– टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
9. भंवरनाथ पुत्र मोड़नाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी– टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
10. मदननाथ पुत्र मोड़नाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी– टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
11. कालूनाथ पुत्र मोड़नाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी– टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
12. महेन्द्रनाथ पुत्र मोडनाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी– टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज)
13. सोहननाथ पुत्र मोड़नाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
14. हिम्मतनाथ पुत्र मोड़नाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी– टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
15. मांगाकुंवर पुत्र मोड़नाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी– टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:03:38 IST
Reason: SelfAttested

16. उगमकुंवर पत्नी मोड़नाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी–टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
17. विक्रमनाथ पुत्र रतननाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी– टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
18. देवेन्द्रनाथ पुत्र रतननाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी– टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
19. रेखाकुंवर पुत्री रतननाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी– टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
20. हेमलता कुंवर पत्नी रतननाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी–टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
21. फतेहनाथ पुत्र रामनाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी– टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
22. केसरकंवर पत्नी रामनाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी–टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
23. दरियावकुंवर पुत्री रामनाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी–टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
24. टमाकंवर पुत्री रामनाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी– टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
25. पुष्पाकुंवर पत्नी दलपतनाथ जी जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी–टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर (राज.)
26. शेलेन्द्र पुत्र दलपतनाथ जी नाबालिग जरिये संरक्षक माता पुष्पाकुवर जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर राज.
27. नैना पुत्री दलपतनाथ जी नाबालिग जरिये संरक्षक माता पुष्पाकुवर जाति राजपुत, उम्र बालिग, निवासी टिलोरा, तहसील मावली, जिला–उदयपुर राज.
28. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर (राज.)

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 81/22 (वाद) GCMS No. – 2022/211

यह वाद आज वास्ते अंतिम निर्णय हेतु पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. के समक्ष प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम वागरोदी पटवार हल्का भीमल तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 56 पर दर्ज आराजी नम्बर 474, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494 किता 10 कुल रकबा 4.0549 हैक्टयर [illegible] वादी संख्या 1 से 7 एवं प्रतिवादी संख्या 8 से 27 के मौरूस [illegible] पुत्र [illegible] के नाम दर्ज हिस्से में से वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:03:38 IST
Reason: SelfAttested

को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार मावली को आदेशित किया जाता है कि उक्त आदेशानुसार वादी के नाम 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के नाम संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 8 से 27 के मौरूस जोधनाथ पुत्र भेरूनाथ के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

यह आज तारीख 05.03.2026 को न्यायालय से मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:03:38 IST
Reason: SelfAttested